न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 170/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 10.07.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मोत्या बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि खाना जाति कीर निवासी वार्ड नं0 17 कुम्हारों का मोहल्ला ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 08.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 168/प्रा0पत्र/2016 बउनवान सरकार बनाम जगन्नाथ में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नियम 17ए राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम 1968 के तहत इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि आवंटी जगन्नाथ आ0 पूरा जाति कीर निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी के नाम वाके ग्राम बाल में खसरा सं0 301 रकबा 15.00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिस पर मौके पर उक्त भूमि में आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, जो की आवंटन शर्तों का उल्लंघन है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित आराजी पर मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी/वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए निर्णय दिनांक 24.06.2016 से आवंटन

8/5/2025
अति. स. आयुक्त
कोटा

निरस्त कर आवंटित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 168/प्रा0पत्र/2016 बउनवान सरकार बनाम जगन्नाथ में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश की जाकर कथन किया गया कि कृषि भूमि खसरा सं0 301 रकबा 15 बीघा ग्राम बाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जगन्नाथ आत्मज पूरा जाति कीर निवासी ग्राम रानीपुरा को आवंटित की गई थी। उक्त आराजी आवंटी के गैरखातेदारी दर्ज कर दी गयी थी तथा आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज काश्त चला आ रहा था। आवंटी जगन्नाथ का दिनांक 28.01.2005 को स्वर्गवास हो गया था तथा उसकी पत्नि गौरा ने जगन्नाथ के जीवनकाल में ही अन्य व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया था। जगन्नाथ के एक मात्र संतान पुत्री अपीलर्थी मोत्या बाई है, जो उसकी उत्तराधिकारी है। तहसीलदार, हिण्डोली ने दिनांक 04.12.2015 को अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम 1968 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 24.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जगन्नाथ को आगामी पेशी दिनांक 31.03.2016 के लिए नोटिस जारी किया गया। दिनांक 21.03.2016 को जगन्नाथ को नोटिस उसकी मृत्यु होना अंकित करते हुए अदम तामील प्राप्त हुआ तथा उसके वारिसान का नाम प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली को आदेश दिया गया किंतु जगन्नाथ के वारिसान का नाम दर्ज किये बिना ही दिनांक 24.06.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप बडगांव में रखी जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही दर्ज की गई है और उसके उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, जो सर्वथा अवैध है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली को तलब नहीं किया गया। आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवंटन की दिनांक एवं मिसल संख्या दर्ज नहीं है। आवंटी ने आवंटन किश्तों को जमा नहीं किया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो, ऐसा कोई नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नामांतरकरण संख्या 59 दिनांक 20.05.2001 द्वारा आवंटी

8/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

जगन्नाथ को लीजदार से गैरखातेदार दर्ज किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2079 में आवंटी जगन्नाथ गैरखातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने अथवा भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा होने का तथ्य निराधार है। इस प्रकार पुराने आवंटन को तकनीकी आधार पर अथवा कब्जे के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन भूमि पर आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि पर निरंतर काबिज काश्त चली आ रही है। दिनांक 05.06.2020 को जानकारी हुई की उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई है। इसके पश्चात् नकल आवेदन से नकल दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसके मृतक पिता के विरूद्ध पारित किया गया निर्णय अवैध होने से निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जगन्नाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय nullity है, क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली को तलब नहीं किया गया। आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवंटन की दिनांक एवं मिसल संख्या दर्ज नहीं है। आवंटी ने आवंटन किश्तों को जमा नहीं किया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो, ऐसा कोई नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2079 में आवंटी जगन्नाथ गैरखातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने अथवा भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा होने का तथ्य निराधार है। इस प्रकार पुराने आवंटन को तकनीकी आधार पर अथवा कब्जे के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन भूमि पर आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि पर निरंतर काबिज काश्त चली आ रही है। दिनांक 05.06.2020 को जानकारी हुई की उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई

8/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

है। इसके पश्चात् नकल आवेदन से नकल दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसके मृतक पिता के विरूद्ध पारित किया गया निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2017(2) Page No. 1047, RRD 1982 Page No. 330 पेश किये।

5. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के संबंध में कारण प्रकट किया कि आवंटी जगन्नाथ का दिनांक 28.01.2005 को स्वर्गवास हो गया था। तहसीलदार, हिण्डोली ने दिनांक 04.12.2015 को अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम 1968 का प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 24.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जगन्नाथ को आगामी पेशी दिनांक 31.03.2016 के लिए नोटिस जारी किया गया। दिनांक 21.03.2016 को जगन्नाथ को नोटिस उसकी मृत्यु होना अंकित करते हुए अदम तामील प्राप्त हुआ तथा उसके वारिसान का नाम प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली को आदेश दिया गया किंतु जगन्नाथ के वारिसान का नाम दर्ज किये बिना ही दिनांक 24.06.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप बडगांव में रखी जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाधीन भूमि पर आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि पर निरंतर काबिज काश्त चली आ रही है। दिनांक 05.06.2020 को जानकारी हुई की उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई है। इसके पश्चात् नकल आवेदन से नकल दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी के ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जो निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है :–

***RRD 1982 Page No. 330** – Moti Vs Nanuri (decided on 19th Feb, 1982)*

(a) Limitation – From date of knowledge – Appeal against order of G.P. opening mutation, filed after 9 yrs. from date of knowledge, dismissed by Collector as barred by limitation- Held, appeal from date of knowledge not barred by limitation since not notice, given by G.P. to applicants (sons of recorded khatedar) whose rights, affected

8/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

इस प्रकार रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नियम 17ए राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम 1968 के तहत इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि आवंटी जगन्नाथ आ0 पूरा जाति कीर निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी के नाम वाके ग्राम बाल में खसरा सं0 301 रकबा 15.00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिस पर मौके पर उक्त भूमि में आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, जो की आवंटन शर्तों का उल्लंघन है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित आराजी पर मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी/वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए निर्णय दिनांक 24.06.2016 से आवंटन निरस्त कर आवंटित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जगन्नाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय nullity है, क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन निरस्तीकरण बाबत् प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.12.2015 को प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा सुनवाई हेतु आवंटी जगन्नाथ को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 3542 दिनांक 02.03.2016 से आवंटी जगन्नाथ को तलब किये जाने हेतु जारी किये जाने पर उक्त नोटिस पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी जगन्नाथ के 10 वर्ष पूर्व मृत्यु होना अंकित किये जाने से उक्त नोटिस अदम तामील प्राप्त होकर संलग्न अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली है। इसके

8/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

उपरांत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के द्वारा पत्रांक 12.04.2016 से तहसीलदार हिण्डोली को आदेशित करते हुए अप्रार्थी/आवंटी जगन्नाथ के वारिसान के नाम न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया। किंतु उक्त संबंध में फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 23.06.2016 अनुसार स्पष्ट किया गया कि "गैर खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, एक पुत्री मोत्या वर्तमान में देई निवास करती है"। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था की आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है तथा एक पुत्री मोत्या है जो वर्तमान में देई निवास करती है। किंतु आवंटी जगन्नाथ के वारिसान की जानकारी पत्रावली में उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2016 को निर्णय पारित किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण जो निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है :–

***RRT 2017(2) Page No.1047** –Gurnam Singh (D) thr. L.Rs. & Ors. vs. Gurbachan Kaur (D) y. L.Rs. & Ors. (decided on 27th April, 2017)*

*Code of Civil Procedure, 1908-Order 22, Rule 9, 3(2) & 4(3) – **Abatement of appeal** – Plaintiff & two defendants died pending 2nd appeal –No application filed to bring the L.Rs' on record – Hight Court set aside the concurrent findings & decreed the plaintiff's suit-Judgement passed against a deed person is without jurisdiction & nullity- Objection in this regard can be raised in appeal or even en execution proceedings-Judgement set asided.*

***Imp- Point :-** Judgement passed against a deed person is without jurisdiction & nullity.*

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था की आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है तथा एक पुत्री मोत्या है जो वर्तमान में देई निवास करती है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2016 को आवंटी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बावजूद बिना उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में मृत्यु की सूचना के बावजूद मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय करना त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी के विधिक वारिसान को रिकोर्ड पर लेकर सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 168/प्रा0पत्र/2016 बउनवान सरकार बनाम जगन्नाथ में पारित

8/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

निर्णय दिनांक 24.06.2016 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 168/प्रा0पत्र/2016 बउनवान सरकार बनाम जगन्नाथ में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि आवंटी जगन्नाथ के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण मे पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

8/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा